Approved

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई</u>

<u>जमानत आवेदन संख्या–129/2026</u>

(खैरा थाना कांड संख्या–319/2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई

लव कुमार

बनाम

बिहार सरकार

<u>आदेश</u>

<u>30.03.2026</u>

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त **लव कुमार** उम्र करीब 29 वर्ष पिता–स्व0 श्री सिंह, साकिन–डहुवा, थाना–खैरा, जिला–जमुई की ओर से खैरा थाना कांड संख्या–319/2023 अन्तर्गत धारा 304(B)/201/34 भा0द0वि0 में नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को अग्रिम जमानत के बिन्दु पर सुना गया।

2. आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.03.2026 को एक आवेदन दाखिल कर निवेदन करते हैं कि नियमित जमातन आवेदन संख्या 129/26 वापस लेना चाहते हैं।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक को जमानत आवेदन के वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त रियाज अंसारी के विद्वान अधिवक्ता एक आवेदन दाखिल कर निवेदन करते हैं कि दिनांक 30.03.2026 को दाखिल नियमित जमातन आवेदन संख्या 129/26 वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने आवेदन को वापस लेने का कारण बताया है कि इस वाद में वाद दौरा सुपुर्द कर दिया गया है। इस कारण जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं क्योंकि विचारण न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन देना है। सुना, एवं अभिलेख पर रक्षित आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः आवेदक अभियुक्त **लव कुमार** का जमानत आवेदन वापसी का आवेदन स्वीकृत करते हुए, वापसी के आधार पर आवेदक का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो नं0........................... दिनांक–...............................

प्रतिलिपि अग्रसारित –विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई